प्रेट नोट 05.08.2019 थाना अछनेरा जनपद आगरा।

थाना अछनेरा आगरा पुलिस के द्वारा लगभग 400 लोगों से फर्म के नाम पर पैसा लेकर गबन करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

थाना क्षेत्र में लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेश निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी जनपद आगरा क्षेत्राधिकारी अछनेरा जनपद आगरा की सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी थाना अछनेरा जनपद आगरा को पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 04.08.2019 को थाना अछनेरा पर मुकदमा अपराध संख्या 349/2018 धारा 408/420/467/468/471/323/504/506 भादवी पंजीकृत किया गया था, जिसमें मार्गदर्शक फाइनेंसियल स0 लि0 का मुख्यालय प्लॉट नंबर 118 दयाल फार्म रेहमानपुर गणेशपुर देवा रोड चिन्हाट लखनऊ में स्थित है यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(झ)(क) अंतर्गत पंजीकृत हैं। कंपनी की एक शाखा किरावली में निकट मारुति सुजुकी शोरूम तहसील किरावली श्री नेत्रपाल सिंह के मकान में कस्बा किरावली जनपद आगरा में कार्यरत है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य गरीब व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को छोटे–छोटे समूह बनाकर उनके छोटे–छोटे उद्योगों के लिए ऋण देकर उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ करना है। इस कार्य के लिए सभी शाखा पर एक शाखा प्रबंधक व 3–4 फील्ड ऑफिसर रखे जाते हैं। फील्ड ऑफिसर फील्ड में जाकर महिलाओं के छोटे–छोटे समूह बनाकर उनके आवश्यक अभिलेख लेकर ऋण मांग के अनुसार प्रपत्र तैयार करके शाखा प्रबंधक के माध्यम से ऋण वितरित करते हैं। एफ0ओ0 उन्हें दिए गए ऋण की किस्तों को लेकर शाखा प्रबंधक के पास जमा करके कैश बुक में प्रविष्टि कराकर कंपनी के खाते में जमा कराते हैं। श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री रामा शंकर शर्मा निवासी मकान नंबर 3715 देवरी रोड परिक्रमा मार्ग स्वामी बाग थाना जगनेर जनपद आगरा उत्तर प्रदेश, कंपनी में फील्ड अफसर द्वारा मार्गदर्शन फाइनेंसियल लिमिटेड में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। तैनाती के दौरान करीब 400 लोगों से किस्त के नाम पर लगभग ₹14 लाख फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन कर लिये हैं। अभियुक्त पवन कुमार शर्मा, अप्रैल 2018 से फरार था। उक्त अभियुक्त को गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे द्वारा लगभग 400 लोगों से फर्जी दस्तावेज तैयार करके किश्त के नाम पर पैसे का गबन किया गया हैं

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–**

01. पवन कुमार शर्मा पुत्र रमाशंकर निवासी 3715 देवरी रोड परिक्रमा मार्ग स्वामी बाग जगनेर जनपद आगरा।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण :–**

01. मु0अ0सं0 349/2019 धारा 408/420/467/468/471/323/504/506 भा0द0वि0 थाना अछनेरा जनपद आगरा।

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल थाना अछनेरा जनपद आगरा।
02. उ0नि0 महिपाल सिंह थाना अछनेरा जनपद आगरा।
03. कां0 4957 रजनीश यादव, कां0 4943 सौरभ कुमार, म0कां0 4638 पूनम शर्मा, कां0 4953 विकास कुमार थाना अछनेरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।